न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक सांगवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 10 / 2024 दायर दिनांक 21.10.2024

सरकार जरिये कविता जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

——प्रार्थी

बनाम

संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद जाति कुम्हार निवासी गांव पालीवाला तहसील सूरतगढ
फर्म / दुकानः लिम्बा मोटर्स पालीवाला बस स्टैण्ड, सूरतगढ़

——अप्रार्थी

<u>परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए</u>

:: निर्णय :: दिनांकः– 30.04.2025

1. यह परिवाद आवेदक सुश्री कविता जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अंतर्गत पेश किया गया है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है।
2. जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ तथा पूर्ण सिंह प्रवर्तन निरीक्षक सूरतगढ के द्वारा दिनांक 23.09.2024 को लिम्बा मोटर्स, पालीवाला बस स्टैण्ड, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पर घरेलु गैस का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त दुकान / फर्म पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद जाति कुम्हार निवासी गांव पालीवाला तहसील सूरतगढ उपस्थित मिला तथा स्वयं को उक्त दुकान / फर्म का मालिक होना बताया। संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद की उपस्थिति में दुकान निरीक्षण किया गया। मौके पर दुकान की जांच करने पर पाया कि दुकान में घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 04 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 2 मोटर पाये गये। मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के हैं। मौके पर पाये गये 04 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 2 मोटर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के <u>भण्डारण / उपयोग</u> संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद की दुकान पर पाये गये 04 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 2 मोटर जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रमेश पुत्र श्री सतपाल उम्र 32 साल जाति छींपा निवासी वार्ड नं. 45 सूरतगढ़, कार्यकर्ता सूरतगढ़ गैस सर्विस सूरतगढ को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद द्वारा अवैध तरीके से 04 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 2 मोटर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा है। संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद के द्वारा घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः निवेदन है कि मौके से जब्त 04 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस, 2 मोटरराजसात करने के आदेश फरमावें।
3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नो[illegible] किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामनारायण जालप हाजिर आये ए[illegible] पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त परिवाद अनावश्यक [illegible] आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा घरेलू गैस रिफलिंग का कोई कार्य नहीं [illegible] गया और ना ही पूर्व में कभी भी किया गया है। प्रार्थी से किसी भी प्रकार का गैस रिफलिंग का कोई कार्य उपकरण बरामद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Sangva
Date: 2025.05.12 11:14:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ – 335804

Scanned with OKEN Scanner

नहीं हुआ है और ना ही किसी अधिकारी की जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा कोई रिफलिंग की जा रही थी। रिफलिंग हेतु जो उपकरण आवश्यक होना बताया गया है, उक्त उपकरण लिम्बा मोटर्स आदि की कोई बरामदगी नहीं होना जब्ती की दर्ज किया हुआ है, यदि वास्तव में प्रार्थी द्वारा अवैध ढंग से गैस रिफलिंग की गई तो मौका पर प्रार्थी के कब्जा से रिफलिंग का उपकरण अवश्य ही बरामद होता। प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही प्रार्थी से रंजिश रखने वाले व्यक्ति की झूठी शिकायत के आधार पर की गई है। यह कि जो चार घरेलू सिलेण्डर जब्त करना बताया है, उक्त सिलेण्डर प्रार्थी के नहीं है और आस–पास की आबादी के लोगों के सिलेण्डर एवं पासबुक जब्त किये है। प्रार्थी की दुकान के पास गैस एजेंसी का वाहन सिलेण्डर सप्लाई करने आता है तो आस–पास के लोग अपने खाली सिलेण्डर प्रार्थी की दुकान के आगे रख देते हैं तथा डायरियां प्रार्थी को दे देते है। रसद अधिकारी द्वारा उक्त सिलेण्डर ही जब्त किये गये हैं। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा एलपीजी रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॅाप फरमाई जावे।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत जबाव तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब असन्तोषप्रद हैं। अप्रार्थी द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक गैस रिफलिंग में उपयोग किये जाने के संबंध में किसी प्रकार को कोई अधिकार पत्र/अनुमति पत्र/लाइसेंस अथवा अन्य सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे यह साबित हो कि उसे उक्त कृत्य करने हेतु अनुमति प्रदत है। अप्रार्थी संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद जाति कुम्हार निवासी गांव पालीवाला तहसील सूरतगढ का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जब्तशुदा 4 घरेलू सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम एलपीजी गैस, 2 मोटर राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनो के आधार पर अप्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री लालचंद जाति कुम्हार निवासी गांव पालीवाला तहसील सूरतगढ की दुकान से जब्तशुदा (फर्द मौका जब्ती अनुसार), 04 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 56.8 किलोग्राम गैस व 2 मोटर राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ 335804

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Sangva
Date: 2025.05.12 11:14:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner